रणजीत हत्याकांड में राम रहीम और चार अन्य को आजीवन कारावास, राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना

जेपी सिंह

रणजीत सिंह हत्याकांड में अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। उम्रकैद की सजा के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का अब लंबे समय तक जेल में बंद रहना पक्का हो गया है। इस केस में राम रहीम के अलावा बाकी चार दोषियों के नाम जसबीर, अवतार, कृष्ण लाल और सबदिल हैं। पंचकूला में सीबीआई जज सुशील गर्ग ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बाकी चारों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। राम रहीम को इससे पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा हो चुकी है। इसके अलावा दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में भी राम रहीम को 10-10 साल की सजा हो चुकी है।

अदालत का फैसला आने के बाद सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने स्पष्ट किया कि राम रहीम मरते दम तक जेल में ही रहेगा। उन्होंने बताया कि रणजीत सिंह हत्याकांड में जो सजा सुनाई गई है, वह पहले सुनाई जा चुकी सजा के साथ ही चलेगी।

इससे पहले सोमवार सुबह दोषी राम रहीम की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। वहीं अन्य 4 दोषियों को पंचकूला कोर्ट लाया गया। सोमवार को फैसला आने के पहले पंचकूला जिला प्रशासन ने सुबह से ही पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी। पूरे पंचकूला में ITBP के जवानों के साथ पुलिसकर्मी तैनात रहे। शहर में आने वाले लोगों को पूरी तलाशी लेने के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी गई।

सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने राम रहीम और चारों दोषियों के लिए फांसी की सजा मांगी थी, मगर अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले राम रहीम ने अदालत में कहा कि वह इस देश का नागरिक है और उसे अदालत पर पूरा भरोसा है। उसने डेरे की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक कार्यों और अपनी बीमारी की दुहाई देकर सजा में रियायत की मांग की। रणजीत सिंह हत्याकांड में CBI कोर्ट ने

12 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोषियों के वकीलों द्वारा CBI की ओर से दी गई दलीलों को पड़ने के लिए समय मांगने पर CBI जज सुशील गर्ग ने 18 अक्टूबर की तारीख दी थी।

10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने ही साध्वी यौन शोषण मामले में अपनी बहन से गुमनाम चिट्ठी लिखवाई। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के पिता ने जनवरी 2003 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे की हत्या की जांच CBI से करवाने की मांग की, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया। सीबीआई ने इस मामले में डेरामुखी राम रहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 2007 में CBI की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए और 8 अक्टूबर 2021 को उन्हें दोषी करार दे दिया।

रणजीत सिंह हत्याकांड में 3 लोगों की गवाही महत्वपूर्ण रही। इनमें से 2 चश्मदीद गवाहों सुखदेव सिंह और जोगिंद्र सिंह ने अदालत को बताया कि उन्होंने आरोपियों को रणजीत सिंह पर गोली चलाते देखा। तीसरा गवाह डेरामुखी का ड्राइवर खट्टा सिंह रहा। खट्टा सिंह के अनुसार, उसके सामने ही रणजीत सिंह को मारने की साजिश रची गई। खट्टा सिंह ने अपने बयान में कहा कि डेरामुखी राम रहीम ने उसके सामने ही रणजीत सिंह को मारने के लिए बोला। केस की शुरुआती सुनवाई के समय खट्टा सिंह अदालत में इस बयान से मुकर गया था, मगर कई साल बाद वह फिर कोर्ट में पेश हुआ और गवाही दी। उसकी गवाही के आधार पर ही पांचों को दोषी ठहराया गया।

राम रहीम को रणजीत हत्याकांड में 20 साल की उम्रकैद की सजा दी गई है। इससे पहले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में भी डेरा प्रमुख को 20 साल की ही उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में भी उसे 10-10 साल कैद की सजा हो चुकी है, जो फिलहाल चल रही हैं। इस तरह अब तक राम रहीम को कुल 60 साल कैद की सजा हो चुकी है। इनमें से उम्रकैद की सजाएं एक साथ चलेंगी यानी उसे इनके लिए 40 की जगह 20 साल ही जेल में काटने होंगे। लेकिन साध्वियों के यौन शोषण मामलों में एक सजा खत्म होने पर दूसरी सजा शुरू होगी यानी उसे 20 साल कैद रहना होगा। उम्रकैद की सजाएं अभी चल रही सजाओं की अवधि खत्म होने पर शुरू होंगी।

राम रहीम पर अभी अपने ही डेरे के साधुओं को नपुंसक बनाने का एक और मामला सीबीआई की विशेष अदालत में लंबित है। इस मामले में कार्रवाई पर फिलहाल हाईकोर्ट का स्टे चल रहा है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई अभी लंबी चल सकती है। तब तक इस मामले में भी सजा की संभावना बनी रहेगी।

गुरमीत राम रहीम को 31 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। अन्य दोषियों में सबदिल को 1.5 लाख रुपये, कृष्णलाल और जसबीर को 1.25-1.25 लाख रुपये और अवतार को 75,000 रुपये की जुर्माना राशि भरनी होगी। इस जुर्माना राशि का पचास फीसदी हिस्सा मृतक रणजीत सिंह के परिवार को जाएगा। इस मामले में छठे आरोपी की एक साल पहले मौत हो गई थी।

रणजीत सिंह की 10 जुलाई, 2002 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते उनकी हत्या की गई थी। इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, डेरा प्रमुख का मानना था कि इस अज्ञात पत्र को प्रसारित करने के पीछे रणजीत सिंह थे और उसने उनकी हत्या की साजिश रची।

डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को हत्या हुई थी। गुमनाम खत एक साध्वी ने 13 मई 2002 को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा था। इस खत में एक लड़की ने सिरसा डेरा सच्चा सौदा में गुरु राम रहीम के हाथों अपने यौन शोषण का वाकया बताया था। रणजीत साध्वी के इस गुमनाम खत के आने से कुछ समय पहले ही अपनी बहन को लेकर अपने घर कुरुक्षेत्र चले गए थे। डेरा को शक था कि यह खत रणजीत ने अपनी बहन से लिखवाया है।

डेरे में रेप और यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद रणजीत सिंह बहुत आहत थे। इसी बात को लेकर उन्होंने डेरे के मैनेजर पद से इस्तीफा दे दिया था। अब वो डेरे से अलग हो चुके थे। उनके परिवार के लोग भी डेरे का मोह छोड़ चुके थे। लेकिन इसी दौरान अचानक 10 जुलाई 2002 को अज्ञात बदमाशों ने रणजीत सिंह की हत्या कर दी। उस वक्त डेरा प्रमुख को शक था कि रेप और यौन शोषण का खुलासा करने वाली चिट्ठी रणजीत ने अपनी बहन से लिखवाई थी। उसी की वजह से रणजीत के कत्ल का शक डेरा प्रमुख पर जा रहा था। बाद में सीबीआई जांच में शक हकीकत में तब्दील हो गया।

छत्रपति, राम रहीम और पत्रकारिता

रामरहीम को सीबीआई के तीसरे केस में भी कल सजा हो गयी। बताया जाता है कि राम रहीम के बिखरे प्यादों ने इस केस को प्रभावित करने का भरपूर जोर लगाया और केस के फैसले को आगे से आगे बढ़ाने और किसी मनचाहे अंजाम तक ले जाने की कोशिश में लगे रहे। लेकिन राम रहीम की फाइल इतनी मजबूत है और राम रहीम के पूर्व के केस और सजा आपस मे इतनी गुंथी हुई है कि किसी भी सामान्य जज की हिम्मत ओवर रूल करने की नही पड़ती।

राम रहीम जब से गद्दी पर आया, उसने अपनी एक विश्वस्त टीम बनाई और उसी टीम से अपनी सुविधा के तमाम काम करवाता रहा। एक टीम जब कत्ल के केस में अरेस्ट हुई तो दूसरी टीम खड़ी की। दूसरी टीम का सरताज एक तेज दिमाग डॉक्टर था जिसने डॉक्टरी कम की और डेरा का प्रबंधन यहां तक कि डेरा का व्यवसायीकरण तक उसी ने किया। जब उस डॉक्टर ने सब सम्भाल लिया तो राम रहीम चिंतामुक्त हो अपनी आसक्तियों और शोंक में ज्यादा गहरे उतर गया।

पूरे डेरा, और डेरा की महत्वूवर्ण सत्ता को लगता था कि इस देश मे सब मैनेज होता है। अकाली इनेलो कांग्रेस बीजेपी सब तो मैनेज थे। इसके अलावा देश और है क्या। और जो मैनेज नही होते थे उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता था।

छत्रपति पहला आदमी था जो डेरा से मैनेज नही हुआ। छत्रपति उस दौर में साध्वी और रणजीत सिंह के कत्ल की खबरे निकाल कर लाया जब डेरा का पराक्रम शहर के सर चढ़कर बोल रहा था। एक पत्रकारिता छत्रपति ने की और एक पत्रकारिता छत्रपति के जाने और राम रहीम के जेल जाने तक हमने देखी। डेरा की आदित्य इंसा टीम ने हर मोर्चे पर हर किसी को मैनेज किया। मैनेज करने में करोड़ो करोड़ रुपये का खर्च हुआ। वह खर्च महंगी सब्जियां बेचकर और बाबा के महंगे पॉप शो की टिकटे बेचकर यानी अनुयाइयो की आस्था को निचोडकर उगाहे गए। आस्था का ऐसा जूस आजतक किसी ने नही निचोड़ा होगा जैसा डेरा की शातिर टीम ने निचोड़ा। एक कद्दू सत्तर हजार में बेचा गया। अंगूर की एक टोकरी 25 लाख की। एक भिन्डी चार हजार की बेची गयी। शो की टिकेट के एक लाख रुपये तक के दाम भी रखे गए। ब्लॉक वाइज टिकट बेची जाती और ब्लॉक वाइज संगत ढोई जाती। धर्म के नाम पर हम कितने कितने कितने जाहिल हो सकते हैं यह हमे राम रहीम ने साक्षात दिखाया।

जिन तीनो केस में राम रहीम को सजा हुई है वे तीनों केस आपस मे जुड़े हुए हैं। ये बात न्याय की कुर्सी पर बैठा कोई भी जज इग्नोर नही कर सकता। इनमे से दो केस छत्रपति ने उजागर किये और तीसरे केस में छत्रपति खुद एक केस हो गए।

जिस रणजीत सिंह की हत्या का फैसला कल सुनाया गया है उसकी मौत की खबर दो माह बाद छत्रपति खोज कर लाये। रणजीत सिंह का परिवार मौत की खबर पर चुपी मार गया था, छत्रपति जब उनके परिवार से मिला तो उन्होंने कहा कि आपसी रंजिश में उसकी मौत हो गयी है। छत्रपति इस झूठ को जानता था। उसने साध्वी की चिट्ठी अपने समाचार पत्र में प्रकाशित की थी। रणजीत सिंह के घर से लौटते ही छत्रपति ने रणजीत सिंह की मौत को खबर बना दिया। जैसे ही रणजीत सिंह की मौत की खबर बाहर निकली डेरा प्रबंधन में हंडकम्प मच गया। उसी दिन छत्रपति को रास्ते से हटाने के निर्देश राम रहीम ने जारी कर दिये।

बस, ताकत यहीं हारती है। जब वह किसी मद में चूर होकर आंख बंद करके निर्देश देती है। हम सिरसा निवासी एक बढ़ी लड़ाई के नजदीक के साक्षी हैं। 2002 से 2017 तक राजनीतिक छल, धार्मिक प्रपंच, कानूनी पतले मार्ग, पत्रकारिता का

चरम और फिर पत्रकारिता का पतन और दलाली और आम लोगों का ताकत की तरफ खड़े हो जाना और पीड़ित को गरियाना समझाना और उपदेश देना नजदीक से देखा हमने। राजनीतिक नेताओं का पीड़ितों पर दबाब बनाना, सामाजिक ठेकेदारों का पीड़ितों पर दबाब बनाना, खुद डेरा के क्रियाकलापो से पीड़ित पर दबाव बनाना, खुद को इतना विशालकाय और परोपकारी दिखा कर पीड़ित को छोटा करने की कार्यनीति से पीड़ितों का मनोबल तोड़ना। लेकिन पीड़ितों का साधू हो जाना और अपनी भीतर की शक्ति को पोषित करते रहना उनकी जीत का कारण बना। और एक साधु का साधुता भूलकर बाहरी मोहरों साधनों पर आ खडा होना एक बडे धार्मिक विश्वास की अकाल मौत का कारण बना।

अंशुल छत्रपति पीड़ितों का सम्बल रहा, उनका नेतृत्व करता रहा। अंशुल विशेष बधाई का पात्र है। साधुओं को नपुंसक बनाने का एक अन्य केस भी राम रहीम पर चल रहा है। राम रहीम का धर्म के नाम पर शर्म हो जाना शायद हम अंध धार्मिक लोगों के लिये शिक्षा का कोई प्रेरणा स्रोत बने। काश कि रहम मांगते ईश्वर देखकर हमें ईश्वर पहचानने की दृष्टि हासिल हो जाए।